

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

स्वल्पतिह बनाम थापु

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 383/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|-------------|---|
| 22/07/24 | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>स्वल्पतिह</u></p> <p>पिता श्री <u>हीरलाल जी जार</u></p> <p>निवासी- <u>देवरी</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>देवरी</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>780/865 780/866</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> कुल रकबा <u>0.3000</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>देवरी (तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>780/865, 786/866</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> रकबा <u>0.3000</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500 = ००</u> रूपये अक्षरे <u>पांच सौ मात्र</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(बीनू देवल)</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> |